

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
127 24/2/18	<p>अभिभावक अपील/रेटपो/उपस्थित। अतः पत्रावली दिनांक 6.3.18 को पेश हो। पूर्व स्थगन (आदेश) की (अवधि) नियत दिनांक लम्ब बढ़ाई जाती है।</p>
तहत पत्रावली संलग्न है	<p>अभिभावक अपील के बारे में एग्रीमेंट के तहत 3 मास काई स्थगन किया गया है। अतः पत्रावली का दिनांक 10.4.18 को पूर्व स्थगन (आदेश) की (अवधि) नियत दिनांक लम्ब बढ़ाई जाती है।</p>
10-4-18	<p>अभिभावक उत्पन्न उप/विद्यमान फोटो/राजस्व मण्डल राजस्व अधिकारी के फॉर्म/TA/2018/2072/अलवर/1069 दिनांक 2018/अलवर/4-6-18/दिनांक 3-4-18 को अग्रिम दिनांक 3-4-18 तक बढ़ाई/विस्तार प्राप्त है अपील BAR तहत/विस्तार के लिए/प्राप्त है/दिनांक/प्रमाण/दिनांक/अवधि/</p>
18/3/19	<p>श्री. विवेक कुमार शर्मा, राजस्व मण्डल राज. अधिकारी के फॉर्म/राज/आय/सिज/TA/2018/2072/अलवर/1069 दिनांक 10.1.19 के द्वारा न्यायालय हाजा की पत्रावली मध्य मण्डल के निर्दिष्ट दिनांक 28.12.18 की प्रमाणात प्रति प्राप्त हुई है मण्डल के निर्दिष्ट दिनांक 28.12.18 के द्वारा निगरानी (अग्रिम) स्वीकार की जाय न्याया. हाजा का आदेश दिनांक 24.1.18 मिलने पर फॉ. फॉ. 212 RTI पर सुनवाई हेतु S.O. मुख्यावर को उपस्थित किया गया है (अपील) एवं रजिस्टार की जाये। अतः राजस्व मण्डल राज. (अपील) द्वारा उत्तरण S.O. मुख्यावर को उपस्थित किया गया है। अपील स्वीकृति से (अपील) प्रमाणात होने के कारण अलवर कोज नहीं है। अतः (अपील) प्रमाणात होने के कारण (अपील) की जाती है। पत्रावली मण्डल आदेश होने पर अग्रिम की जाती है। पत्रावली मण्डल आदेश की जाये।</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर